सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम सत्र मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 11 अप्रैल, 2014 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
प्रथम सत्र	10	जनवरी माह - 21, 22, 23, 24, 27, 28 एवं 29 फरवरी माह - 6, 20 व 21

सभापति तालिका

सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष ने सदन में दिनांक 21 जनवरी, 2014 को श्री नारायण सिंह, श्री सुन्दरलाल एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी तथा दिनांक 23 जनवरी, 2014 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री राव राजेन्द्र सिंह एवं श्री प्रद्युम्न सिंह को सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत किये जाने की सूचना दी।

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 21 जनवरी, 2014 को अस्थायी अध्यक्ष के अतिरिक्त 199 सदस्यों में से 143 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की अथवा प्रतिज्ञान किया। इनमें से 134 सदस्यों ने हिन्दी, 8 सदस्यों ने संस्कृत तथा एक सदस्य ने सिंधी में शपथ/प्रतिज्ञान किया। दूसरे दिन दिनांक 22 जनवरी, 2014 को 51 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की अथवा प्रतिज्ञान किया। इनमें से 43 सदस्यों ने हिन्दी में, 7 सदस्यों ने संस्कृत में तथा एक सदस्य ने उर्दू में शपथ/प्रतिज्ञान किया। दिनांक 23 जनवरी, 2014 को श्री भंवरलाल, म. रणधीर सिंह भीण्डर एवं श्री विश्वेन्द्र सिंह ने तथा दिनांक 28 जनवरी, 2014 को श्री कुंजीलाल ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की।

अध्यक्ष का निर्वाचन

दिनांक 22 जनवरी, 2014 को श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रस्ताव किया 'कि श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या -37) को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।' प्रस्ताव का अनुमोदन श्री रामेश्वर लाल डूडी ने किया। श्रीमती वसुन्धरा राजे का प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार किया जाकर श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित

घोषित किया गया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए 14 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। माननीय अध्यक्ष ने भी सदन को सम्बोधित किया। माननीय अध्यक्ष का यह प्रथम उद्‌बोधन पत्रिका के इस अंक में परिशिष्ट में प्रकाशित किया जा रहा है।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2014 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा के विशिष्ट सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखी गई। दिनांक 24 जनवरी, 2014 को सदस्य श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा राज्यपाल महोदय को धन्यवाद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन सदस्य श्रीमती अनिता भदेल ने किया । प्रस्ताव पर चार दिन हुई चर्चा के पश्चात् 29 जनवरी, 2014 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद-विवाद में 77 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । दिनांक 24 जनवरी, 2014 को 11; 27 जनवरी, 2014 को 16; 28 जनवरी, 2014 को 35 तथा 29 जनवरी, 2014 को 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया । चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9, बहुजन समाज पार्टी के 2, राष्ट्रीय जनता पार्टी के एक, नेशनल यूनानिस्ट जमीदारा पार्टी के एक तथा चार निर्दलीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेने वाली महिला सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी थीं।

उल्लेखनीय है कि महामहिम राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने जब सदन में अभिभाषण आरम्भ किया तब संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने महामहिम राज्यपाल महोदया से हिन्दी में अभिभाषण देने हो रही दिक्कत को देखते हुए इसे पढ़ा हुआ माना जाने का आग्रह किया। तत्पश्चात् महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध किया जिस पर अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया।

नेता प्रतिपक्ष को मान्यता

प्रथम सत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2014 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री रामेश्वर लाल डूडी, विधायक को सर्वसम्मति से उक्त विधायक दल का नेता चुना गया है। यह भी सूचित किया गया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिपक्षी दल के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है तथा पार्टी के नेता श्री रामेश्वर लाल डूडी को प्रतिपक्ष का नेता मान लिया गया है।

अध्यक्षीय व्यवस्था

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को श्री राव राजेन्द्र सिंह ने लेखानुदान वर्ष 2014-15 पर मतदान एवं पारण के दौरान कौल एवं शकधर की पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 58 की ओर ध्यान आकृष्ट कर व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि 'लेखानुदान में यह अनिवार्य है कि फाइनेंस मिनिस्टर और सदन की नेता आप टाइम पीरियड स्पेसिफाई करवाते। इसमें लिखित में टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं

है। सदन की नेता द्वारा टाइम स्पेसिफाई किया गया। 31 जुलाई, 2014, क्योंकि यह एक नियम की परम्परा डाल रहे हैं। Because I have always been understood in a different life मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। कौल एवं शकधर यह कहता है Normally the vote on account is taken for two months on an election year or when it is anticipated with the main demands and the Appropriate Bill will take longer than two months जब लोंगर देन टू मन्थ्स होती है तो यह कहता है where the vote on account is taken for more than two months and there is time lag between the vote on account i.e. three months or four months then...then there is provision for cut motion. आप इस रूल को डिलीट करवायें और हमारे रूल बुक में डलवाइये कि This is not be allowed. अदरवाइज आप परम्परा डाल देंगे और परम्परा डालकर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज के इस नियम का बार-बार उल्लंघन करेंगे।'

इस प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि 'माननीय सदस्य कौल एवं शकधर का जो आपने रेफरेन्स दिया है। एकेडमिक डिस्कसन की यह एक लेखबद्ध पुस्तक है और इसको एकेडमिक डिस्कसन तक ही रखे। यह मेण्डेटरी नहीं है, कौल एवं शकधर ने जो भी लिख दिया, उसको माना जाये। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका यह जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, मैं इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर को निरस्त करता हूँ। जो आपने कहा परम्परा पड़ जायेगी, तो परम्परा पड़ जायेगी, तो परम्परा टूट भी जायेगी। परम्परा अपन ही बनाते हैं और अपन ही इसको ठीक करते हैं।'

विशेषाधिकार के प्रश्न पर व्यवस्था

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को माननीय अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 'दिनांक 20 फरवरी, 2014 को सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत किये गये बजट में कथित रूप से की गई घोषणा एवं बजट में किये गये प्रावधान में भारी अंतर होने के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्यमंत्री (तत्कालीन वित्त मंत्री) द्वारा सदन को गुमराह किये जाने व सदन के विशेषाधिकारों का हनन किये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर मैंने आज व्यवस्था देने हेतु सदन में निवेदन किया था।

मैंने इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का गहनता से अध्ययन किया है। प्रथम तो यह प्रकरण विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता भी है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। दूसरा, इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में बजट के आंकड़ों सम्बन्धी जटिलताएँ निहित हैं, जिनकी गहन एवं विस्तृत जाँच होने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः मैं श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 162 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूँ।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 100 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1317 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 542 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 97 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। 30 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 6 सदस्यों ने 9-9, 7 सदस्यों ने 8-8, 5 सदस्यों ने 7-7 तथा शेष 52 सदस्यों ने 6 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में सर्वश्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, किरण माहेश्वरी तथा सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधिक 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 5-5 प्रश्न डॉ. राजकुमार शर्मा तथा श्रीमती गीता वर्मा के थे।

उक्त के अतिरिक्त 775 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 159 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 12 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने सर्वाधिक 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। इस प्रकार तीन-तीन सदस्यों ने 19-19 एवं 18-18 तथा शेष 82 सदस्यों ने 17 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 7 प्रश्न श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के सूचीबद्ध हुए । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 5 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी के सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 43 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 42 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 41 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा 40-40 प्रश्न शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 9-9 प्रश्न शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 8-8 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 70 प्रश्न शिक्षा विभाग, 65 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 60 प्रश्न जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा 57 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 16 प्रश्न शिक्षा विभाग, 12 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 9-9 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो प्रथम सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 415 तारांकित प्रश्नों में से 64 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 51 में से 13, निर्दलीय सदस्यों के 41 में से 9, राष्ट्रीय जनता पार्टी के 18 में से 8 तथा एनयूजेडपी के 17 में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 626 प्रश्नों में से 117 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के 102 में से 29, निर्दलीय सदस्यों के 39 में से 9 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी के सदस्यों के 5 में से 4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य द्वारा दिये गये 3 प्रश्नों में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो पाया।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 77 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 68 अतारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 465 तारांकित प्रश्नों में से 82 तथा 707 अतारांकित प्रश्नों में से 149 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 45 तारांकित प्रश्नों में से 6 तथा 67 अतारांकित प्रश्नों में 10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 7 में से 1, राष्ट्रीय जनता पार्टी के 8 में से 5 तथा एनयूजेडपी के 17 में से 3 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका द्वारा दिया गया एक अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो पाया।

सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 28 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 6-6 प्रश्नों पर दिनांक 28 जनवरी, 2014 तथा 21 फरवरी, 2014 को चर्चा हुई।

आधे घण्टे की चर्चा

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 6 फरवरी, 2014 को डॉ. किरोड़ी लाल के तारांकित प्रश्न संख्या 18 (259/खान) का उत्तर जो दिनांक 27 जनवरी, 2014 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर श्री मानिक चन्द सुराना तथा डॉ. किरोड़ी लाल ने आधे घण्टे की चर्चा उठायी। संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट की गई।

स्थगन प्रस्ताव

प्रथम सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 8 माननीय सदस्यों के 14 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 4 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 सदस्यों ने 6 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के श्री मनोज कुमार ने एक प्रस्ताव, राष्ट्रीय जनता पार्टी के डॉ. किरोड़ी लाल ने 3 प्रस्ताव तथा निर्दलीय श्री हनुमान बेनीवाल ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सर्वाधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यो में से श्री हनुमान बेनीवाल, डॉ. किरोड़ी लाल एवं श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने क्रमशः 4, 3 व 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 49 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 63 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इन सभी सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 36 सदस्यों ने 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 सदस्यों ने 8, चार निर्दलीय सदस्यों ने 5, बसपा के श्री पूरणमल सैनी ने 2 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी के डॉ. किरोड़ी लाल द्वारा एक सूचना प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत सूचनाओं में से 10 सूचनाएँ 8 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 7 सदस्याओं ने 9 सूचनाएँ तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने एक

सूचना प्रस्तुत की । महिलाओं में सर्वाधिक 2-2 सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती अनिता भदेल एवं श्रीमती संतोष अहलावत ने प्रस्तुत कीं। श्री बंशीधर तथा श्री हीरालाल ने सर्वाधिक 3-3 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं । 10 सदस्यों ने 2-2 तथा शेष 37 सदस्यों ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की। दिनांक 6 फरवरी, 2014 को श्री सुशील कटारा द्वारा प्रस्तुत सूचना पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी ने अभ्युक्ति दी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 16 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 24 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 16 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । भारतीय जनता पार्टी के 13 सदस्यों द्वारा 19 विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने 3 विषय तथा निर्दलीय श्री हनुमान बेनीवाल एवं एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी ने एक-एक विषय उठाया। तीन महिला सदस्यों श्रीमती अनिता भदेल, श्रीमती द्रोपती तथा श्रीमती सोना देवी द्वारा एक-एक विषय सदन में उठाये गये। सर्वाधिक 3-3 विषय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा तथा श्री मदन राठौड़ ने उठाये। चार सदस्यों द्वारा 2-2 तथा शेष 10 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय उठाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रथम सत्र के दौरान दिनांक 28 जनवरी, 2014 को माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द सुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर के प्राचार्य का त्याग-पत्र स्वीकार होने के पश्चात् भी अनधिकृत रूप से अपने पद पर बने रहने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रस्ताव पर तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सराफ द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को सदस्य श्री तरुण राय कागा ने चौहटन विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या समाधान बाबत् एक याचिका का उपस्थापन किया।

दिनांक 21 फरवरी, 2014 को सदस्य श्री मदन राठौड़ ने पाली जिले की नगरपालिकाओं के पेरीफेरल एरिया को व्यवस्थित करवाने हेतु एक याचिका का उपस्थापन किया।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 28 जनवरी, 2014 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद के दौरान डॉ. किरोड़ी लाल के भाषण के समय सदन में अव्यवस्था हो गई तथा बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई। स्थगन से पूर्व 15.07 से 15.37 बजे तक की सम्पूर्ण कार्यवाही अध्यक्षीय पीठ की व्यवस्था के अनुसार अपलोपित की गई।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

प्रथम सत्र के दौरान दिनांक 21 जनवरी, 2014; 29 जनवरी, 2014 तथा 20 फरवरी, 2014 को कार्य सलाहकार समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

प्रथम सत्र में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 20 फरवरी, 2014 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

(ख) आय-व्ययक अनुमान तथा लेखानुदान का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन किया। मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करते हुए मतदान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 29 जनवरी, 2014 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें।

(ख) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2014 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये-

1. राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 21)
2. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 22)
3. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन और संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 23)
4. कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 24)

5. कृषि विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 25)
6. राजस्थान वृक्ष (नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण और संरक्षण) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 26)
7. राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 27)
8. पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 28)
9. माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 29)
10. आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2013 (वर्ष 2013 का अध्यादेश संख्या 30)

(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
01/2014	कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014	24.1.2014	6.2.2014	6.2.2014
02/2014	राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014	24.1.2014	6.2.2014	6.2.2014
03/2014	माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014	6.2.2014	21.2.2014	21.2.2014
04/2014	आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014	29.1.2014	6.2.2014	6.2.2014
05/2014	राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014	29.1.2014	6.2.2014	6.2.2014
06/2014	पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014	6.2.2014	21.2.2014	21.2.2014
01/2014	राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014	6.2.2014	21.2.2014	21.2.2014

08/2014	बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014	6.2.2014	21.2.2014	21.2.2014
09/2014	मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014	6.2.2014	21.2.2014	21.2.2014
10/2014	शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014	6.2.2014	21.2.2014	21.2.2014
11/2014	राजस्थान विनियोग (संख्या -1) विधेयक, 2014	20.2.2014	20.2.2014	20.2.2014
12/2014	राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)(संख्या -2) विधेयक, 2014	20.2.2014	20.2.2014	20.2.2014

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य प्रथम सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[23.01.2014]	
1. डॉ. नेल्सन मंडेला	पूर्व राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका	06.12.2013
2. श्री एरियल शेरॉन	पूर्व प्रधान मंत्री, इजराइल	11.01.2014
3. श्री रोमेश भण्डारी	पूर्व राज्यपाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, गोवा पूर्व उप राज्यपाल दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार	07.09.2013
4. श्री शीशराम ओला	पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व सदस्य दूसरी से आठवीं व दसवीं विधान सभा	15.12.2013
5. श्री हरजीराम बुरड़क	पूर्व मंत्री एवं पूर्व सदस्य चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा	20.12.2013
6. श्री देवीलाल बैरवा	पूर्व सदस्य, सातवीं, आठवीं व ग्यारहवीं विधान सभा	22.01.2014
7. श्री उगमराज मेहता	पूर्व सदस्य, छठी एवं दसवीं विधान सभा	24.11.2013
8. श्री नन्दलाल व्यास	पूर्व सदस्य, दसवीं विधान सभा	09.11.2013
9. श्री बहादुर सिंह	पूर्व सदस्य, छठी से नौवीं विधान सभा	06.12.2013
10. श्री अमरचन्द	पूर्व सदस्य, सातवीं एवं आठवीं विधान सभा	23.09.2013
11. श्रीमती सुधा	पूर्व सदस्य, आठवीं विधान सभा	21.10.2013
12. श्री शंकर सिंह रावत	पूर्व सदस्य, चौथी एवं पाँचवीं विधान सभा	17.10.2013
13. श्री नारायण लाल	पूर्व सदस्य, पहली एवं दूसरी विधान सभा	01.10.2013
14. श्री विजयदान देथा	पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार	10.11.2013
15. श्री नारायण सिंह भाटी	पद्मश्री से सम्मानित पुलिस अधिकारी	20.11.2013

	[06.02.2014]	
16. मेजर ओ.पी. यादव	पूर्व सदस्य, तेरहवीं विधान सभा	30.01.2014
	[20.02.2014]	
17. श्री पसरराम मेदरणा	पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा तथा पूर्व सदस्य, दूसरी से सातवीं तथा नौवीं से ग्यारहवीं वि.स.	16.02.2014